राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राज महल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
(Phone &Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / कोरोना / 2021 / 110366-579 दिनांकः 25/06/2021

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त, राजस्थान

विषयः–कोविड–19 जनित मृत्यु के प्रकरणों में पार्थिव देह के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोरोना की दूसरी लहर में सभी निकायों द्वारा कोविड से संबंधित कार्य कोरोना जन–जागरण एवं कोविड पॉजिटिव शवों का परिवहन व कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंतिम संस्कार का कार्य संपादन अति संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारीपूर्वक वहन किया गया है। इस दौरान सभी निकायों द्वारा विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना बखूबी की गई है, जिसकी उच्च स्तरीय कोविड समीक्षा बैठकों में भी सराहना की गई है।

राज्य सरकार के प्रयासों से अब कोरोना केसेज के साथ–साथ मृत्यु दर में भी तेजी से कमी आई है। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी दैनिक बुलेटिन अनुसार पिछले दो दिनों से कोविड मृत्यु दर शून्य है, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी निकायों को कोविड शवों के कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत सःसम्मानपूर्वक दाह संस्कार करने की सुनिश्चित व्यवस्था में लगी एम्बूलेंसों की संख्या में कमी लाने की आवश्यकता है।

साथ ही सभी निकाय यह सुनिश्चित करें कि कोई भी कोविड मृत्यु होने पर **सम्बन्धित निकाय संबंधित अस्पताल एवं परिवहन कार्यालय से समन्वय कर** As and when required **आधार पर एम्बूलेन्स की व्यवस्था कर कोविड शव का अन्तिम संस्कार** कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार निरन्तर पूर्व की भांति किया जाना सुनिश्चित करेंगे। सभी निकायों में कोविड कन्ट्रोल रूम पूर्व की भांति संचालित रहेंगे।

अतः सभी नगरीय निकायों से आशा है कि वह उक्त कार्य आगे भी इसी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ संपादित करते रहेंगे।

(भवानी सिंह देथा) 25/6/21
शासन सचिव

क्रमांकःएफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / कोरोना / 2021 / 110580-660 दिनांकः 25/06/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
7. उपखण्ड अधिकारी, समस्त राजस्थान।
8. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव